



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना,
पटियाला

फैक्स/Fax No.91-175-2306413
Phone 0175-2396000,
0175-2396001,

सं० 220/ई/1/डी एम डब्ल्यू/एक्ट अप्रेंटिस pt.XXIII

दिनांक 12.07.2014

विषय : ट्रेड Fitter में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप।

श्री Rajnish Kumar सपुत्र श्री Hans Raj , H No- 44, Mehs Gate, Preet Vihar, Nabha, Distt- Patiala, Pin- 147201	श्री Arvinder Singh सपुत्र श्री Suba Singh , # 404, Near Water Tanki, Kauli, Distt- Patiala, Pin- 140701
श्री Vinod Kumar Meena सपुत्र श्री Girdhari Lal Meena , Vill- Pali, PO- Bahar, Rajgarh, Alwar, Pin- 301413	श्री Saurabh Kumar सपुत्र श्री Chheddi Lal Yadav , At Naya Tola Matadih, PO- Jamalpur, Munger, State- Bihar, Pin- 811214
श्री Ram Chander सपुत्र श्री Dalip Kumar , Vill- Kikar Wala Rupa, PO- Jand Wala Kherta, Distt- Fazilka, Pin- 152123	श्री Anil Kumar सपुत्र श्री Sita Ram Q No- O, Block No- L/27, Railway Colony, Bathinda, Pin- 151001
श्री Satish Kumar सपुत्र श्री Ram Briksh Das , Q No- 2406, Type- II, DMW Railway Colony, Patiala, Distt- Patiala, Pin- 147003	श्री Prem Parkash सपुत्र श्री Bodhan Vishav karma , Q No 3077, Type- I, Dmw Patiala, Pin- 147001

उपरोक्त उम्मीदवार, जिनका आरजी तौर पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत अप्रेंटिसशिप हेतु चयन किया गया है, को निर्धारित चिकित्सा परीक्षा के लिए इस कार्यालय में दिनांक 25.07.2014 तक उपस्थित होना है।

उपरोक्त उम्मीदवारों को अवगत कराया जाता है कि वे यात्रा अपने खर्चे पर करेंगे। चिकित्सा परीक्षा के लिए आमतौर पर 2 या 3 दिन लगते हैं अतः उन्हें इस दौरान रहने का प्रबन्ध आप ही करना होगा। चिकित्सा परीक्षा डी एम डब्ल्यू रेलवे हस्पताल पटियाला में ही होगी।

अप्रेंटिस ट्रेनिंग चिकित्सा परीक्षा के पश्चात ही आरम्भ की जाएगी। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से पहले उन्हें अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत करारनामा करना होगा।

उपरोक्त उम्मीदवारों को अनुलग्नक 'क' के अनुसार, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाणपत्र इस कार्यालय को देना है।

यह भी नोट किया जाए कि सभी अप्रेंटिस उम्मीदवारों को निर्धारित यूनिफार्म खाकी (आधी बाजू वाली) कमीज और खाकी पैंट पहननी होगी। यूनिफार्म पूरी ट्रेनिंग के दौरान पहननी होगी।

यदि उपरोक्त उम्मीदवार दिनांक 25.07.2014 तक रिपोर्ट करने में सफल नहीं होते तो बाद में आप का नाम विचारा नहीं जाएगा। उपरोक्त उम्मीदवार सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्र और टैक्नीकल प्रमाणपत्र मूल रूप में जांच के लिए साथ लायें और साथ में इनका एक सैट फोटो कापी भी लेकर आएँ। इसके साथ ही जाति प्रमाणपत्र भी मूल रूप में (यदि उम्मीदवार अनु० जाति/अनु० जनजाति अथवा अन्य पिछड़ी श्रेणी से संबंधित है) लेकर आएँ। अपनी पासपोर्ट आकार की दो फोटो भी लायें।

इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्र और टैक्नीकल प्रमाणपत्रों की कुछ सत्यापित प्रतियां भविष्य में प्रयोग करने हेतु भी करवा कर अपने पास रखें। आवेदक इस कॉल लैटर का एक प्रिन्ट आउट अपने साथ लेकर आये।

सहायक कार्मिक अधिकारी

अनुलग्नक 'क'

चरित्र प्रमाणपत्र का प्रोफार्मा

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/
श्री..... को विगतवर्षों एवंमाह से जानता
हूँ, और मेरे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वह एक सच्चरित्र व्यक्ति है। मुझे ऐसी किन्ही भी
परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है जिनके कारण इन्हें अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत अप्रेंटिसशिप के लिए
उपयुक्ता को क्षति पहुंचे।

मैं आगे घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है/संबंध है।

स्थान:

हस्ताक्षर.....

दिनांक:

पदनाम.....

(राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)